रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275137
CG-DL-E-03082026-275137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4083]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2026/श्रावण 9, 1948
No. 4083]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2026/SHRAVAN 9, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2026

का.आ. 4259(अ).— यतः, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.5366 दिनांक (अ)18 दिसंबर, 2023 (जिसे तत्पश्चात के अंतर्गत (कहा गया है "उक्त अधिसूचना", केंद्र सरकार ने रियायतग्राही मैसर्स सामाखियाली टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को गुजरात राज्य में एनएच-27 के सामाखियाली से सांतलपुर खंड किमी). 339+200 से किमी. 430+100 तक पर पेव्ड शोल्डर सहित (6-लेन सड़क बनाने से संबंधित परियोजना, जिसे बीओटी (टोलमोड के अंतर्गत डिज़ाइन (, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और अंतरण डीबीएफ़ओटी)) आधार पर तैयार किया जा रहा है, इसके लिए उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहीत करने हेतु अधिकृत किया है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम (दर निर्धारण एवं संग्रहण), 2008 (जिन्हें तत्पश्चात कहा ”नियम“ के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 3 के नियम (गया है, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप) खंड-ii) में प्रकाशित उक्त अधिसूचना संख्या का .आ.5366(अ) दिनांक 18 दिसंबर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

(i) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा-:

"3. यदि परियोजना के पूर्ण होने में विलंब होता है, तो करार के अनुसार पूर्ण होने की तारीख और परियोजना के वास्तव में पूर्ण होने की तारीख के बीच की विलंब की अवधि के लिए कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस नियम के प्रयोजन हेतु, परियोजना की किसी भी अंतरिम पूर्णता को परियोजना का पूर्ण होना नहीं माना जाएगा।"

[फा. सं. जीयूजेडीआईवी-12011/1/2025-पीआईयू गांधीधाम/ई-263632]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2026

S.O. 4259(E).— Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highway Number S.O. 5366 (E) dated 18th December, 2023 (hereinafter referred to as "said notification"), the Central Government has the Concessionaire M/s Samakhiyali Tollway Private Limited, for levying of user fee for the project involving development of 6-Lane with Paved Shoulder of NH-27 from the Samakhiyali to Santalpur section from km. 339+200 to km. 430+100 in the State of Gujarat on a Design, Build, Finance, Operate, and Transfer (DBFOT) basis under the BOT (Toll) Mode.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") the Central Government hereby makes following amendment to the said notification bearing S.O. 5366 (E) dated 18th December, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(i) In the said notification, for Sl. No. 3, following shall be substituted:-

"3. No user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per the Agreement and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purpose of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project."

[F. No. GUJDIV-12011/1/2025-PIU Gandhidham/ E-263632]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA